भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1745
उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पद

†1745. श्री डी.के. सुरेश:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न तकनीकी शिक्षा/ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षण और गैर-शिक्षण के हजारों पद रिक्त पड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और उत्कृष्ट संस्थानों में स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ) शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं और उनमें रिक्तियां संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की रिक्तियों का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शैक्षिक संस्थानों (सीएचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निदेश दिया है। 27 जुलाई 2023 तक, मिशन भर्ती अभियान के तहत केवल दस महीने की अवधि में सीएचईआई में कुल 13287 रिक्तियां भरी गई हैं।

*****